न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :–

सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 01/23

दायर दिनांक: 09.02.2023

जीसीएमएस नं. 2023/26

1. अनीता कुमारी पुत्री कमलसिंह जाति राजपूत नि. सामंतपुरा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अपीलाण्ट

वनाम

1. ग्रा.पं. अलीपुर पं.स. वैर हाल पं.स. भुसावर जरिये सरपंच ग्रा.पं. अलीपुर पं.स. भुसावर जिला भरतपुर
2. भगवती वेवा कमलसिंह 3. पदमसिंह पुत्र कमलसिंह जातियान राजपूत नि. सामंतपुरा तह. भुसावर जिला भरतपुर

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. 1956
विरूद्ध नामा. सं. 823 दिनांक 09.05.2016
ग्रा.पं. अलीपुर पं.स. वैर हाल पं.स. भुसावर

अधिवक्ता– 1.श्री सुरेन्द्र चौधरी —अपीलाण्ट
2.श्री पप्पूराम —रेस्पो. 02, 03
3.सरपंच ग्रा.पं. अलीपुर —रेस्पो. 01

निर्णय दिनांक 30.08.2024

अपील अपीलाण्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता पेश की गई। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 182 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम अलीपुर तह. भुसावर में स्थित है, जिसका नया आ.ख.नं. 237 रकबा 1.11 हैक्टे. है। उक्त आराजी अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 02 व 03 की पैत्रिक आराजी है, जो अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 02 व 03 को उनके पिता/पति से बाई बर्थ विरासत में प्राप्त हुई है। जिसमें अपीलान्ट 1/3 हिस्से की व रेस्पो. संख्या 02 भगवती 1/3 हिस्सा व रेस्पों. संख्या 03 पदमसिंह 1/3 हिस्से के काविज काश्तकार एवं खातेदार है। उक्त आराजी के खातेदार कमलसिंह पुत्र माधोसिंह के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तकरण रेस्पो. संख्या 01 द्वारा स्वीकृत करते हुए अपीलान्ट का नाम अनीता कुमारी के स्थान पर विना किसी जाँच पडताल व दस्तावेज लिये बगैर दीपा दर्ज कर अपना आदेश दिनांक 09.05.2016 को पारित किया है। जो निम्न आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है:–

रेस्पो. संख्या 01 ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व मृतक कमलसिंह के वारिसान के संबंध में व उनके नाम पते के बावत कोई भी जाँच नहीं की और बिना जाँच किये ही अपना आदेश पारित कर दिया है। जो निरस्त होने योग्य है।

अपीलान्ट मृतक कमलसिंह की एक मात्र पुत्री है, जिसका नाम दीपा ना होकर अनीता कुमारी है, जिसका नाम अपीलान्ट के सभी दस्तावेजात राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में भी अनीता कुमारी दर्ज चला आ रहा है। दीपा नाम की कोई भी पुत्री संतान मृतक कमलसिंह के नही थी। बल्कि अपीलान्ट अनीता कुमारी पुत्री संतान थी एवं मृतक कमलसिंह के कुल 03 विधिक वारिसान है। जिनमें भगवती पत्नि, पदमसिंह पुत्र व अनीता कुमारी पुत्री है। इनके अलावा मृतक कमलसिंह का कोई वारिस नहीं है। मृतक कमलसिंह की दीपा नाम की कोई भी पुत्री नहीं है और बिना दस्तावेजात की जाँच किये रेस्पो. संख्या 01

उपखण्ड अधि...
भुसावर (भरतपुर) राज.

मृतक कमलसिंह की छोडी गई उपरोक्त आराजी का नामान्तकरण अपीलान्ट अनीता कुमारी के स्थान पर दीपा दर्ज करते हुये बिना किसी आधार के किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पो. द्वारा अपील स्वीकार कर रेस्पो. संख्या 02 व 03 के हक में पुनः नामान्तकरण खोलने बाबत निवेदन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 823 दिनांक 09.05.2016 ग्राम सामंतपुरा ग्रा.पं. अलीपुर को निरस्त किये जाने की एवं अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 02 व 03 के हक में पुनः नामान्तरकरण खोलने बाबत निवेदन किया गया है।

हमने अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में रेस्पो. संख्या 02 व 03 की ओर से श्री पप्पूराम एड. द्वारा मय जवाब अपील वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पो. संख्या 01 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया गया। जिसके आधार पर हम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 823 दिनांक 09.06.2016 ग्राम पंचायत अलीपुर तह. भुसावर को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि पुनः भली भांति जाँच कर विधिवत सुनवाई कर नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करावें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)